आपराधिक मामला विचाराधीन होने से नियुक्ति देने से इन्कार गैर कानूनी: हाईकोर्ट

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेद कम्पाउंडर-नर्स जूनियर ग्रेड 2023 भर्ती मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि अकस्मात दुर्घटना का आपराधिक मामला विचाराधीन होने मात्र से नियुक्ति देने से इन्कार करना गैर कानूनी है।

राजस्थान हाइकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश मुन्नुरी लक्ष्मण की कोर्ट ने केवल कार्मिक विभाग परिपत्र को आधार बनाकर पेन्डिंग ट्रायल नियुक्ति से इन्कार कर देने के आदेश को निरस्त करते हुए आयुर्वेद विभाग को तीस दिन के भीतर नियुक्ति दिए जाने के आदेश जारी किए है।

याचिकाकर्ता सुरेश कुमार मीणा की ओर से अधिवक्ता यशपाल ख़िलेरी व विनीता एडवोकेट ने हाईकोर्ट में रिट याचिका पेश कर बताया कि वर्ष 2020 में याचिकाकर्ता और उसका चचेरा भाई सुनील अपनी मोटरसाइकिल पर सुबह अपने गांव से बासोली शहर (ज़िला बून्दी) जा रहे थे कि अचानक सामने से तेज गति और लापरवाही से एक मोटरसाइकिल चलाते हुए एक व्यक्ति आया और याचिकाकर्ता की मोटरसाइकिल से भिड़ गया। इस भिड़ंत में दोनों ओर काफ़ी गंभीर चोटें लगी।

इस दुर्घटना के तुरन्त बाद घटनास्थल पर मौजूद गांववालों ने याचिकाकर्ता, उसके भाई और सामने वाले व्यक्ति राधेश्याम खटीक को नज़दीक के राजकीय अस्पताल में ले गए, जहां दोनो का इलाज चला। इलाज के दौरान सामने से टक्कर मारने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गयी और याचिकाकर्ता के भी मुहं व हाथों और दोनो पैरों मे काफ़ी चोटें आईं। याचिकाकर्ता ने इस दुर्घटना की रिपोर्ट उसी दिन संबंधित थाने में भेज दी थी।

इस दुर्घटना में दोनों ओर से रिपोर्ट दर्ज की गई और अनुसंधान के बाद दोनों पक्षकार के ख़िलाफ़ पुलिस में चालान पेश किया गया।। चूंकि सामने वाले दुर्घटनाठास्त व्यक्ति राधेश्याम खटीक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से उसके खिलाफ आपराधिक मामले को समाप्त कर दिया गया लेकिन याचिकाकर्ता के खिलाफ दुर्घटना बाबत मामला आज दिन तक विचाराधीन है।

याचिकाकर्ता सुरेश कुमार मीणा ने राजस्थान सरकार की आयुर्वेद कम्पाउण्डर-नर्स जूनियर ग्रेड 2023 भर्ती प्रक्रिया के तहत चयन प्राप्त किया था, लेकिन उसके खिलाफ दुर्घटना का मामला 2020 से विचाराधीन था।

इसी कारण आयुर्वेद विभाग ने उसकी नियुक्ति रोक दी थी, जबकि अन्य चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति दे दी गई थी।

हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला विचाराधीन है, उसे नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।

न्यायालय ने यह भी कहा कि यह निर्णय भारतीय कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ है, क्योंकि ऐसे मामलों में यदि व्यक्ति निर्दोष साबित होता है तो उसकी नियुक्ति के अधिकार को फिर से बहाल किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि दुर्घटना के मामले में दोषी होना या नहीं होना अदालत के निर्णय पर निर्भर करता है।

इसलिए केवल दुर्घटना के आपराधिक मामले को आधार बना कर उसे नौकरी से वंचित करना गलत है, खासकर जब उसे अन्य उम्मीदवारों के समान ही चयनित किया गया था।

कोर्ट ने आयुर्वेद विभाग को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को 30 दिन के भीतर नियुक्ति दे और यह भी सुनिश्चित करें कि उसे समकक्ष अभ्यर्थियों के समान सभी लाभ मिलें।

साथ ही, न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि भविष्य में यह मामला ट्रायल में याचिकाकर्ता के खिलाफ जाता है तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

दर्जी समाज पीपीएल 7 क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू

भीनमाल, (निसं)। श्री पीपा क्षत्रिय युवा दर्जी समाज भीनमाल के तत्वावधान में आयोजित दर्जी समाज पीपीएल 7 किक्रेट टूर्नामेंट का शुभारंभ शिवराज स्टेडियम में गुरुवार की शाम को हर्षोल्लास के साथ किया गया। यह टूर्नामेंट 2 से 4 जनवरी तक खेला जाएगा, जिसमें कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का आयोजन पर्ची सिस्टम के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे मुकाबले और भी रोचक बनेंगे।

टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह 1 जनवरी की शाम को आयोजित हुआ। समारोह में समाज के वरिष्ठजन वेनाराम दहिया, कालूराम डाभी जुंजाणी, लाखाराम दहिया, पूखराज गजीपूरा, नरसी सोलंकी और दीपक पढियार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही श्री पीपा क्षत्रिय युवा दर्जी समाज की पूरी कमेटी, आयोजन से जुडे पदाधिकारी और बडी संख्या में खिलाडी भी समारोह में उपस्थित रहे। उद्घाटन अवसर पर अतिथियों ने खिलाडियों से परिचय प्राप्त किया और खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का संदेश दिया। समाज के वरिष्ठजनों ने कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं को न केवल खेलों की ओर प्रेरित करते हैं, बल्कि आपसी भाईचारे, अनुशासन और टीम भावना को भी मजबूत करते हैं। उन्होंने आयोजन समिति की सराहना करते हुए कहा कि पीपीएल 7 टूर्नामेंट दर्जी समाज की एक पहचान बन चुका है और हर वर्ष इसका स्तर और बेहतर होता जा रहा है। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि टूर्नामेंट को लेकर खिलाडियों और दर्शकों में खासा उत्साह है। सभी मुकाबले शिवराज सुखरान स्टेडियम में खेले जाएंगे, जहां दर्शकों के लिए बैठने और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रतियोगिता के दौरान खेल अनुशासन और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

युवा दर्जी समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज के युवाओं को सकारात्मक दिशा देने का काम करते हैं। खेल के माध्यम से प्रतिभाओं को मंच मिलता है और सामाजिक एकता को भी बल मिलता है। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट के समापन अवसर पर विजेता और उपविजेता टीमों को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उद्घाटन समारोह के साथ ही टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई है। पहले ही दिन खेले गए अभ्यास मुकाबलों में खिलाडियों का उत्साह देखने लायक रहा। आने वाले दिनों में रोमांचक मुकाबलों के साथ पीपीएल 7 टूर्नामेंट खेल प्रेमियों के लिए खास आकर्षण बना रहेगा।

बालोतरा में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित

बालोतरा, (नि.सं.)। सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं आमजन में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से गुरुवार को जिला कलक्टर कार्यालय के सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलक्टर भुवनेश्वर सिंह चौहान ने की।

बैठक में परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर परिषद, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग सहित अन्य संबंधित हितधारक विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में 01 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक सड़क सुरक्षा माह के दौरान नियमित रूप से आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर भुवनेश्वर सिंह चौहान ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रतिदिन सड़क सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित किया जाए तथा उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग भी की जाए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विभागीय समन्वय के साथ-साथ आमजन की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है।

सड़क सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और इसमें जनभागीदारी से ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा माह के दौरान आमजन को यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी जाए, जिसमें हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग, गति सीमा का पालन, नशे में वाहन नहीं चलाने, मोबाइल फोन का प्रयोग न करने जैसे नियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके लिए जागरूकता रैलियों, विद्यालयों में कार्यक्रम, पोस्टर, बैनर एवं पंपलेट के माध्यम से संदेश आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान सड़क सुरक्षा से संबंधित पोस्टर का विमोचन भी किया गया। इसके साथ ही जिले में संचालित सभी वाहनों तथा मवेशियों पर रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश दिए गए, जिससे रात्रि के समय होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ने घुमावदार सड़कों के मोड़ों पर झाड़ियों की कटाई करवाने, दृष्टि बाधित करने वाले अवरोधों को हटाने तथा संभावित दुर्घटना स्थलों (ब्लैक स्पॉट) का चयन कर वहां सुधारात्मक कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए। इनमें सड़क चौड़ीकरण, संकेतक बोर्ड, स्पीड ब्रेकर, स्ट्रीट लाइट एवं अन्य सुरक्षा उपाय शामिल हैं।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरफूल सिंह, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता अमृत देवपाल, जिला परिवहन अधिकारी भगवान गहलोत, नगर परिषद आयुक्त रामकिशोर मेहता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. वाकाराम चौधरी, जिला शिक्षा अधिकारी देवाराम प्रजापत समेत समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे।

चार डॉक्टर का चयन

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अस्थि रोग विभाग सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2021 परिणाम घोषित किया गया।

परीक्षा में डा. सम्पूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर में कार्यरत चार चिकित्सकों ने इस परीक्षा में सफलता अर्जित की। इनमें डॉ महेंद्र सिंह टाक, डॉ अंकित सोनी, डॉ आशीष गौड़ , डॉ कुलदीप धनकर शामिल है।

डॉ महेंद्र सिंह टाक ने नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए पूरे राज्य भर में इस भर्ती परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया। डॉक्टर टॉक ने स्पाइन सर्जरी में दक्षता हासिल की है। वर्तमान समय में चारों चिकित्सक अभी अर्जेंट अस्थाई तौर पर कार्यरत है।

घुसपैठिये को पकड़ा

जैसलमेर, (नि.सं.)। जिले में सीमा सुरक्षा बल ने घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है।
जिले के नाचना क्षेत्र में बुधवार शाम करीब 8 बजे सीमा सुरक्षा बल की 72वीं बटालियन के जवान गश्त पर थे। इसी दौरान हल्के कोहरे के बीच सीमा पार से एक युवक को भारतीय क्षेत्र की ओर आते देखा। जवानों ने सतर्कता बरतते हुए तुरंत घेराबंदी की।
जैसे ही संदिग्ध युवक भारतीय सीमा के भीतर दाखिल हुआ, सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने तारबंदी के पास उसे हिरासत में ले लिया। फिलहाल खुफिया एजेंसियां और सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी उससे गहन पूछताछ कर रहे हैं पाकिस्तानी घुसपैठिए के जासूस होने का शक है।

बिना कन्फर्म टिकट यात्रा पर 40.39 लाख रुपये की वसूली

जोधपुर, (कासं)। रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में बिना कन्फर्म टिकट यात्रा पर सख्त कार्रवाई करते 2100 यात्रियों से 40.39 लाख रुपये की वसूली की है।

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस पूरी तरह से आरक्षित श्रेणी की प्रतिष्ठित प्रीमियम सेमी हाई स्पीड ट्रेन है,जिसमें बिना कन्फर्म टिकट, स्टैंडिंग,प्लेटफॉर्म टिकट अथवा अनारक्षित यात्रा की अनुमति नहीं है।

रेल प्रशासन के अनुसार नियमों की अनदेखी कर बिना वैध टिकट यात्रा करते पाए जाने पर टिकट जांच दल द्वारा सघन जांच के दौरान कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे मामलों में रेलवे अधिनियम,1989 के प्रावधानों के तहत यात्रा किराया सहित भारी जुर्माना वसूला जा रहा है।

जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में निरंतर जांच अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे केवल कन्फर्म टिकट होने पर ही वंदे भारत ट्रेन में यात्रा करें।

उन्होंने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस में सभी दरवाजे स्वचालित होते हैं। प्लेटफॉर्म पर परिजनों को छोड़ने आने वालों का ट्रेन के भीतर प्रवेश वर्जित है। अनजाने में ट्रेन में रह जाने की स्थिति में बिना टिकट यात्रा मानी जाएगी, जिस पर जुर्माना लगेगा।

डीआरएम के अनुसार जोधपुर-साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस: बिना टिकट 855 रुपए तक तथा जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस: न्यूनतम 2385 रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा।

अब तक दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में आवागमन में कुल 2100 यात्री बिना टिकट पकड़े गए हैं। उनसे कुल 40.39 लाख रुपए की वसूली की गई है, जिसमें 18.57 लाख रुपए जुर्माना राशि शामिल है।

अवैध डोडा पोस्त जब्त

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर ग्रामीण की पीपाड़ शहर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के विशेष अभियान के तहत 136.640 किलोग्राम अवैध डोडा-पोस्त सहित एक लग्जरी कार जब्त की है। हालांकि तस्कर मौके से झाडियों का फायदा उठाकर फरार हो गए।

ग्रामीण एसपी नारायण टोगस ने बताया कि 31 दिसंबर की रात को थाना प्रभारी उपनिरीक्षक अमीलाल अपनी टीम के साथ नाकाबंदी पर मौजूद थे। इसी दौरान एस-क्रॉस कार बोयल रोड की तरफ से आती नजर आई। पुलिस को देखकर चालक ने कार घुमाई और भागने लगा। इस पर टीम ने पीछा किया तो कुछ दूरी पर चालक और साथी कार छोडक़र बबूल की झाडिय़ों में भाग निकले। वहीं तलाशी लेने पर उसमें सात प्लास्टिक कट्टों में भरा कुल 136.640 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ। साथ ही चार फर्जी नंबर प्लेटें भी मिलीं। कार की नंबर प्लेट पर लाल पट्टी भी लगी हुई थी।

करंट से मौत

जोधपुर, (कासं)। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित रूपरजत टाउनशिप में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड पुलिस ने बताया कि भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा स्थित खारी का लाम्बा निवासी लोकेश पुत्र घनश्याम रैगर ने पुलिस को बताया कि उसका भाई देशराज (24) बालाजी नगर, रूप रजत टाऊन शिप में काम कर रहा था।

खोया-पाया

मैं संदिप भास्कर, पुत्र श्री रतन सिंह, निवासी कटरा थल, जिला सीकर, सूचित करता हूँ कि मेरा एक औद्योगिक भूखण्ड ग्राम माधलपुरा, भांगली सिंधलान, जिला जालौर में स्थित है, जिसकी खसरा संख्या 42 एवं 43 है तथा जिसका कुल क्षेत्रफल 1622.025 वर्गमीटर है। उक्त संपत्ति के चेन डॉक्यूमेंट, जिसका विवरण पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 532, पृष्ठ संख्या 194, क्रमांक 2013003544 है तथा जो रणजीत सिंह के नाम दर्ज है, गुम हो गए हैं। जिस किसी को मिले, वह इस नंबर पर संपर्क करें। संदिप भास्कर, मो. 8078636242

बारिश से मेहंदी के बोरे भीगे

पाली , (नि.सं.)। सोजत कृषि उपज मंडी में बीती रात हुई मावट की बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। अचानक बदले मौसम और मंडी प्रशासन की लापरवाही के चलते मंडी परिसर में खुले में पड़े 1000 से भी अधिक मेहंदी के बोरे बारिश में भीग गए, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार यह नुकसान करोड़ों रुपए में बताया जा रहा है। मंडी में बड़ी मात्रा में किसानों की मेहंदी की फसल बोरो में भरकर खुले परिसर में रखी हुई थी। मौसम विभाग की ओर से मावट और हल्की बारिश की संभावना पहले से जताई जा रही थी, इसके बावजूद मंडी प्रशासन द्वारा न तो तिरपाल की व्यवस्था की गई और न ही सुरक्षित शेड उपलब्ध कराए गए।

'गलत हस्तांतरित राशि को पुनः दिलाना बैंक का दायित्व'

जैसलमेर, (नि.सं.)। जिला उपभोक्ता आयोग ने एक फैसले में बैंक की लापरवाही को मानते हुए उपभोक्ता के पक्ष में आदेश पारित किया है।

परिवादी कल्याणसिंह ने अप्रैल, 2020 में एसबीआई में एक बचत खाता खुलवाया परिवादी द्वारा स्थानांतरित की गयी राशि 3 हजार 8 सौ रुपये एक ही खाता संख्या होने के कारण किसी अन्य खाते में स्थानांतरित हो गयी। जिसकी बैंक को तुरंत ई-मेल के जरिये सूचना दी गयी बार-बार मेल करने पर भी बैंक द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया आयोग अध्यक्ष एवं पीठासीन अधिकारी पवनकुमार ओझा एवं सदस्य रमेशकुमार गौड़ ने उक्त प्रकरण की सुनवायी की।

बैंक को आदेशित किया गया कि वह परिवादी की गलत स्थानांतरित राशि 3 हजार 8सौ रुपये परिवाद दर्ज होने से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ता अदायगी व्याज सहित अदा करें। मानसिक परेशानी व परिवाद व्यय पेटे एकमुश्त 10हजार रुपये अदा करे। उक्त आदेश की पालना निर्णय की तिथि से 45 दिन मे की जावें।

प्रदर्शनी शुरू

बालोतरा,(नि.सं.)। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने नगर परिषद कार्यालय परिसर में सड़क सुरक्षा पर आधारित प्रदर्शनी का विधिवत शुभारंभ किया। यह प्रदर्शनी 1 जनवरी से 31 जनवरी तक रहेगी।

उद्देश्य आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है।

इस अवसर पर जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा माह के दौरान स्कूलों, कॉलेजों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जिससे अधिक से अधिक लोग यातायात नियमों के प्रति सजग हो सकें।

उन्होंने कहा कि जागरूकता ही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का सबसे प्रभावी माध्यम है।

कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलक्टर भुवनेश्वर सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरफूल सिंह, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता अमृत देवपाल, जिला परिवहन अधिकारी भगवान गहलोत, नगर परिषद आयुक्त रामकिशोर मेहता, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. संदीप देवात, जिला शिक्षा अधिकारी देवाराम प्रजापत समेत समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (भूमि आवंटन व नियमितिकरण)
नगर परिषद् सिरोही (राजस्थान)

क्रमांक:नपसि/भूमि/69-क/8263 दिनांक 18.12.2025

लोक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित प्रार्थीगण द्वारा ऑनलाईन आवेदन नगरपरिशद् क्षैत्र में स्थित अपनी भूमि का सिरोही मे इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि 69-क प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

अर्थात :-

क्र. स	आवेदक का नाम व पता	आनलाईन न दिनांक	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए और चौडाई सहित द्वैत्र वर्गफिट/मीटर में
1	नवीन कुमार व अर्जुन कुमार पुत्र सोहनलाल सगरवंशी निवासी संम्पूर्णानंद कालोनी सिरोही	323501 दिनांक 05.12.2025	स्टेट पट्टा स. 68 दिनांक 18.04.1948 वसीयतनामा 09.03.2015 क्षेत्रफल 1200 वर्गफिट
2	आषिश कुमार व आनंद कुमार पुत्र दिनेश कुमार सगरवंशी निवासी संम्पूर्णानंद कालोनी सिरोही	323561 दिनांक 05.12.2025	स्टेट पट्टा स. 68 दिनांक 18.04.1948 वसीयतनामा 09.03.2015 क्षेत्रफल 960 वर्गफिट
3	कैलाशी देवी पत्नि रमेश कुमार व रमेश पुत्र वेनाराम सगरवंशी निवासी संम्पूर्णानंद कालोनी सिरोही	323527 दिनांक 05.12.2025	स्टेट पट्टा स. 68 दिनांक 18.04.1948 वसीयतनामा 09.03.2015 क्षेत्रफल 1200 वर्गफिट
4	कंचनदेवी पत्नि मांगीलालजी निवासी शीतलामाता मंदिर के पीछे सिरोही	323341दिनांक 05.12.2025	स्टेट पट्टा स. 74 दिनांक 18.04.1948 क्षेत्रफल 431.90 वर्गफिट
5	खुशाल पुत्र दिनेश खत्री निवासी शीतलामाता मंदिर के पीछे सिराही	323378 दिनांक 05.12.2025	स्टेट पट्टा स. 137 दिनांक 23.06 1952 क्षेत्रफल 636.9 वर्गफिट

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबन्धित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69-क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष मे आवेदक द्वारा भूमि के अधिकार में अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा मंजूरी के सम्बध मे कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपयुक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नही है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज.....दिनांक को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी
(भूमि आवंटन व नियमतिकरण)

राज.संवाद/सी/25/16851

कार्यालय नगरपालिका, सांचौर जिला-जालौर (राज.)
(टेलिफोन नम्बर-02979-283280, Fax.283625 व ई-मेल आई.डी. eosanchore.lsg@rajasthan.gov.in & eosanchore2010@gmail.com)

क्रमांक/न.पा.सां./2025/5905-07 **-:: आपत्ति विज्ञप्ति ::-** दिनांक :- 30.12.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पालिका परिक्षेत्र में निम्नांकित आवेदनकर्ताओ द्वारा प्रस्तुत कार्यालय में लम्बित 69-क पत्रावलियों के तहत पट्टा जारी करने हेतू मांग की है, इस बाबत् किसी व्यक्ति/आस-पडौस को आपत्ति हो तो 7 दिवस मंय सबुत साथ उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत करे अन्यथा बाद म्याद गुजरने पर कोई आपत्ति मान्य नही होगी। सूचित रहे जो पत्रावलियों का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र. स.	पत्रावली सं. / दिनांक	प्रार्थी का नाम /पिता का नाम	मौहल्ला	भूमि का क्षैत्रफल वर्ग गज/वर्ग मी.	नियमन हेतू	प्रयोजनार्थ
1	LD/SNCH/2025-26/327677	श्री हरीश कुमार पुत्र श्री देवाराम जाति-दर्जी	नेहरू कॉलोनी, सांचौर	356.87	69-क	आवासीय
2	LD/SNCH/2025-26/332709	श्री बुधाराम पुत्र श्री जवानाराम जाति-विश्नोई	इन्दिरा कॉलोनी, सांचौर	62.73	69-क	आवासीय
3	LD/SNCH/2025-26/331120	श्रीमति जसीदेवी पत्नि श्री इसराराम जाति-कलबी	डूगरा का गोलिया, सांचौर	184.8	69-क	आवासीय
4	LD/SNCH/2025-26/307448	श्रीमति परमेश्वरी देवी पत्नि श्री कन्हैयालाल जाति-शर्मा	महावीर स्कूल के पास, सांचौर	167.28	69-क	आवासीय
5	LD/SNCH/2025-26/330892	श्री शैतान पुत्र श्री पूनमाराम जाति-विश्नोई	राजीव बस्ती, झेरडीयावास सांचौर	125.46	69-क	आवासीय
6	LD/SNCH/2025-26/334567	श्री दीपाराम पुत्र श्री हरलाल जाति-विश्नोई	इन्दिरा कॉलोनी, सांचौर	125.46	69-क	आवासीय
7	LD/SNCH/2024-25/206303	श्री लक्ष्मण कुमार पुत्र श्री वगताराम जाति-कलबी	डूंगरा का गोलिया, सांचौर	278.64	69-क	आवासीय
8	LD/SNCH/2024-25/326938	श्री चन्दूलाल पुत्र श्री वीरचंद जाति-सोनी	शिवनाथपुरा, वार्ड सं. 32 सांचौर	81.78	69-क	आवासीय
9	LD/SNCH/2024-25/332461	श्री हितेश कुमार पुत्र श्री प्रभुराम जाति-पुरोहित	खेतेश्वर कॉलोनी, सांचौर	167.28	69-क	आवासीय
10	LD/SNCH/2024-25/332570	श्री विजय कुमार पुत्र श्री प्रभुराम जाति-पुरोहित	खेतेश्वर कॉलोनी, सांचौर	178.43	69-क	आवासीय
11	LD/SNCH/2024-25/334709	श्रीमति गिगीदेवी पत्नि श्री देवाराम जाति-देवासी	रानीवाड़ा रोड़ पर स्थित, सांचौर	71.56	69-क	वाणिज्यक
12	LD/SNCH/2024-25/334677	श्री पदम सिंह पुत्र श्री तिलोक सिंह जाति-राजपुरोहित	श्रीराम कॉलोनी, सांचौर	172.82	69-क	आवासीय
13	LD/SNC H/2024-25/335008	श्री हरीश विश्नोई पुत्र श्री भागीरथराम जाति-विश्नोई	सुदर्षन नगर, सांचौर	83.64	69-क	आवासीय

राज.संवाद/सी/25/16913 अधिशाषी अधिकारी